

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त, 2017-श्रावण 27, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, सचिन कुमार मालविया पिता महेश कुमार, आर्मी वार कॉलेज, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) एतद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरा नाम सभी दस्तावेज में सचिन कुमार मालविया दर्ज है. मैं, अपने नाम के आगे सरनेम शर्मा दर्ज करवाना चाहता हूँ अतः अब मुझे सचिन शर्मा से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सचिन कुमार मालविया)

नया नाम :

(सचिन शर्मा)

आर्मी वार कॉलेज, महू,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(292-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मनोज कुमार पुत्र रामस्वरूप बघेल था. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर योगेन्द्र सिंह बघेल पुत्र श्री रामस्वरूप बघेल कर लिया है. अब मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे और यही नाम मेरे सभी दस्तावेजों में अंकित है.

पुराना नाम :

(मनोज कुमार)

नया नाम :

(योगेन्द्र सिंह)

पुत्र श्री रामस्वरूप बघेल,
के. पी. मार्केट, गुढ़ी गुढ़ा का नाका,
लशकर, ग्वालियर.

(286-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महेश निगम वरिष्ठ अध्यापक, शा.उ.मा.वि., नांदेड, वि.खं. तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जैसे शैक्षणिक योग्यता, विभाग का सर्विस रिकॉर्ड, चोटर आई.डी., आधार कार्ड, पेन कार्ड, एन.पी.एस., राशन कार्ड आदि में महेश निगम पुत्र श्री देवीलाल निगम अंकित है. मेरा उप-नाम वास्तव में महेश निगमवाल है. भविष्य में मुझे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में महेश निगमवाल के नाम से जाना और पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(महेश निगम)
(287-बी.)

नया नाम :
(महेश निगमवाल)
पता:- 212, विजयनगर, शाजापुर (म.प्र.),
पिनकोड-465001.

CHANGE OF NAME

Be it known that I, PARSHVA KUMAR DAGA S/o HARAK CHAND DAGA age about 66 years doing business and R/o Daga House, Kothi Bazar, District Betul-460001 (M.P.). has change my name and hence forth I, will be known as PARAS DAGA to PARSHVA KUMAR DAGA in all future correspondence.

Old Name:
(PARAS DAGA)
(288-B.)

New Name :
(PARSHVA KUMAR DAGA)
Address.—Daga House, Kothi Bazar,
District Betul-460001 (M.P.)

नाम परिवर्तन

मैं, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैं आनन्द काचलेचा पिता मुन्नालाल राठौड के नाम से जाना जाता था. जबकि काचलेचा मेरा गोत्र है. मेरा सही नाम आनन्द राठौड पिता मुन्नालाल राठौड है. इस प्रकार आनन्द काचलेचा व आनन्द राठौड नाम से कोई दो व्यक्ति नहीं हैं. दोनों ही मेरे नाम हैं.

भविष्य में मुझे आनन्द राठौड नाम से जाना जाये.
(289-बी.)

(आनन्द राठौड)
पिता मुन्नालाल राठौड,
साँबरिया कॉलोनी, बड़नगर,
जिला उज्जैन.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मैं, सुनील ठाकुर पुत्र श्री सुरेश सिंह, निवासी गिरवाई पुलिस चौकी के पीछे, पंचमुखी नगर, ग्वालियर यह है कि मैं, अपना नाम पूर्व में सुदामा सिंह लिखता था. मेरे कागजात जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में मेरा नाम सुनील ठाकुर के नाम से ही है. भविष्य में मुझे सुनील ठाकुर के नाम से ही जाना, पहचाना जावे. सुदामा सिंह तथा सुनील ठाकुर एक ही व्यक्ति हैं.

पुराना नाम :
(सुदामा सिंह)
पुत्र श्री सुरेश सिंह,
निवासी-गिरवाई पुलिस चौकी के पीछे,
पंचमुखी नगर, ग्वालियर.
(290-बी.)

नया नाम :
(सुनील ठाकुर)

नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हो कि, विवाह पूर्व मेरा नाम नीतू गुप्ता पुत्री श्री ओमप्रकाश गुप्ता था. विवाह उपरान्त मेरा वर्तमान नाम श्रीमती विधि नगरिया पत्नी विनय नगरिया है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती विधि नगरिया के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(नीतू गुप्ता)
पुत्री ओमप्रकाश गुप्ता.
(291-बी.)

नया नाम :
(विधि नगरिया)
पता:- एम-4 ए, लक्ष्मीपुरम् कॉलोनी,
बहोड़ापुर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मेरा पुराना नाम वीरेन्द्र गुप्ता (VEERENDRA GUPTA) आत्मज श्री राजेन्द्र गुप्ता था, जो अब बदलकर नया नाम कपिल गुप्ता (KAPIL GUPTA) कर लिया है. अब मुझे इसी नये नाम से जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(वीरेन्द्र गुप्ता)

आत्मज श्री राजेन्द्र गुप्ता,
पता :- म.नं. 219, पंचवटी कॉलोनी,
(एयरपोर्ट रोड), लालघाटी, भोपाल (म.प्र.).
(293-बी.)

नया नाम :

(कपिल गुप्ता)**CHANGE OF NAME**

I, ABDUL HUSSAIN QUAMAR S/o DR. MASOODUL HASAN QUAMAR resident of 42, Nandanvan, Manik Bagh Road, Indore (M.P.)-452014. India was known as ZAFFAR AH QUMAR at birth. My name was changed to ABDUL HUSSAIN QUAMAR as peraffidavit number AU 899002. date 16-06-2017. Sworn in the district court indore. I am now known as ABDUL HUSSAIN QUAMAR which is my legal name for all current and future purposes.

(ABDUL HUSSAIN QUAMAR)

(294-B.)

42, Nandanvan, Manik Bagh Road,
Indore (M.P.)-452014.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स M/s Divine Resources, Address 204, Global Apartment, Infront of Income Tax Office, City Center, Gwalior जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0075/17, दिनांक 08 जून, 2017 है, में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से नये भागीदार के रूप में (1) श्रीमती दीप्ति पचौरी पत्नि श्री प्रवीन पचौरी, निवासी शीतला बिहार कॉलोनी, पुरानी चुंगी, गुढ़ा, कम्पू, लखकर, ग्वालियर, (2) श्रीमती पूनम भदौरिया पत्नि श्री रिपूदमन सिंह भदौरिया, निवासी जी-21, ग्लोरी विलास, शताब्दी नगर, ग्वालियर, (3) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव पत्नि श्री प्रमोद श्रीवास्तव, निवासी 304, बांके बिहारी टावर, श्रुति इन्क्लेव, फूलबाग, ग्वालियर सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

M/s Divine Resources,

संजय सिंह,

(भागीदार)

(277-बी.)

Infront of Income Tax Office,
City Center, Gwalior

NOTICE**U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "M/s. KHIYALDAS DEVELOPERS" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00288/2007, Date of Registration 08/03/2007 undergone the following changes:-

1. That Shri Vishal Idnani S/o Shri Nand Kishor Idnani and Shri Rajesh Sadhwani S/o Shri Mirchumal Sadhwani has joined the partnership firm *w.e.f.* 14-03-2013.
2. That Shri Vipin Chouhan S/o Shri V.P.S. Chouhan has joined the partnership firm *w.e.f.* 17-06-2015.
3. That the Principal place of business is shifted at Plot No.-07, ISBT Commercial Campus, Near Chetak Bridge, Bhopal *w.e.f.* 17-06-2015.

"M/s. Khiyaldas Developers",

DINESH IDNANI,

(Partner).

(278-B.)

Plot No.-07, ISBT Commercial Campus,
Near Chetak Bridge, Bhopal.

NOTICE**U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "M/s. HARI FARMS" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00141/2015, Dated 27/06/2015 undergone the following changes:-

1. That the partners of the firm have decided to change the name of the firm from "M/s. HARI FARMS" to "M/s. BLUE MERLIN SOFTWARE & INFOTECH" w.e.f. 01-07-2017.

"M/s. Blue Merlin Software & Infotech",
JAGDISH KUMAR ARORA,
(Partner).

(279-B.)

23, Zone-2, M.P. Nagar, Bhopal.

जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म मेसर्स एसेंस ऑटोमोबाइल्स, इन्दौर की भागीदारी श्री सागर पिता ओमप्रकाश अग्रवाल, श्रीमती मीनाक्षी सिंह पति श्री राजेन्द्र सिंह और श्री शैलेश पिता श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल, दिनांक 31-03-2017 को छोड़ चुके हैं। अतः किसी भी भागीदारी/आमजन को कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति फर्म के रजिस्टर्ड पते पर 10 दिन के अंदर लिखित दर्ज कराये। उपरोक्त फर्म की किसी भी प्रकार की लेनदारी/देनदारी या सरकारी कोर्ट केस, अन्य केस इत्यादि की जवाबदारी पुराने भागीदारों की नहीं रहेगी।

For Essence Automobiles,
SAGAR AGRAWAL,
(Partner).

(280-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मिड टाऊन डेवलपर्स 26/12, वेद नगर, उज्जैन मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/0035/17, दिनांक 22-06-2017 है, जिसमें दिनांक 01-04-2017 को भागीदार 1. श्री अजय लाखे, निवासी सी. एच. 35, स्कीम क्र. 74, इन्दौर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2017 से श्री रौनक सोगानी पिता अभय सोगानी, निवासी 26/12, वेद नगर, उज्जैन (म.प्र.) श्री सचिन वाडेकर पिता श्री विश्वास वाडेकर, निवासी 8, न्याय नगर इंदौर, म.प्र. एवं श्री राजेश शर्मा, पिता श्री सूर्यनारायण शर्मा, निवासी 10, नवीपेट उज्जैन, मध्यप्रदेश फर्म में रह गए हैं, सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

फर्म-मिड टाऊन डेवलपर्स,
रौनक सोगानी,
(भागीदार).
उज्जैन (म.प्र.).

(281-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सत्यम इन्टरप्राइजेज, स्थित 206, सत्यम रेजीडेन्सी टॉवर, अलकापुरी, सिटी सेन्टर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0117/17, दिनांक 29-07-2017 है जिसमें दिनांक 17-04-2017 को श्री राधा रमन शर्मा पुत्र श्री एच. के. शर्मा, निवासी जीवाजी नगर, थाटीपुर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-सत्यम इन्टरप्राइजेज,
शरद गर्ग,
(भागीदार).

206, सत्यम रेजीडेन्सी टॉवर, अलकापुरी,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).

(282-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कैलादेवी स्टोन स्थित ग्राम रफातपुर, तहसील डबरा कतजर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/001333/08, दिनांक 22-12-2008 है। जिसमें दिनांक 10-01-2012 को भागीदार श्री राधेश्याम बंसल पुत्र

श्री बद्री प्रसाद बंसल, निवासी बाड़ी, जिला धौलपुर (राजस्थान) की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 28-07-2017 से भागीदार श्री रामजीलाल गोयल पुत्र श्री द्वारका प्रसाद गोयल, निवासी गोपालपुरा, ग्वालियर रोड, आगरा (उ.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 28-07-2017 से (1) कमलेश गोयल पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप गोयल, निवासी अग्रसेन कॉलोनी, बाड़ी, जिला धौलपुर (राजस्थान), (2) श्रीमती राजकुमारी बंसल पत्नि स्व. श्री राधेश्याम बंसल, निवासी 989, बाड़ी, जिला धौलपुर (राजस्थान) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

मैसर्स कैला देवी स्टोन्स,
संजीव मित्तल,
(भागीदार).

(283-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, प्रार्थी फर्म मैसर्स लखपत सिंह कॉन्ट्रेक्टर्स स्थित-39, शिवाजी नगर, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) ने 01-08-2017 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री लखपत सिंह एवं श्री भान सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी-39, शिवाजी नगर, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है भविष्य में फर्म से संबन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा, शेष साझेदार सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेष के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स लखपत सिंह कॉन्ट्रेक्टर्स,
नवाव सिंह यादव,
(भागीदार).

(295-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Jaimal Singh & Brothers having head office at Gadarwara (M.P.) is registered partnership firm.

Due to sudden death of Shri Jaimal Singh On 31-05-2017 and subsequent admission of Shri Divyajot Singh Malhotra, constitution of partnership changed. Now the partners of the firm are (1) Shri Navneet Singh Malhotra, (2) Smt. Chandra Kanta Khanuja, (3) Smt. Ranbeer Kaur Arora, (4) Smt. Raminder Kaur Malhotra and (5) Shri Divyajot Singh Malhotra.

This public Notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the Office of Registrar of Firms and Society.

For-M/s Jaimal Singh & Brothers,
NAVNEET SINGH,
(Partner).

(284-B.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Nirmal Agro, having head office at 888, Sabji Mandi, Gorakhpur, Jabalpur is registered partnership firm.

On 28-04-2016, Shri Gautam Chand Jain has retired from the partnership and Shri Manish Kothari joined the partnership. Now the partners of the firm are Shri Chappan Singh Thakur and Shri Manish Kothari.

This public Notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the Office of Registrar of Firms and Society.

For-M/s Nirmal Agro,
MANISH KOTHARI,
(Partner).

(285-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक सावित्री चेरिटेबल ट्रस्ट, पता-स्कीम नं. 94, हाऊस नम्बर 48-ई. सी. रेडीसन होटल के सामने, क्लासिक पूर्णिमा के पास इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी ओमप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा सावित्री चेरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : "सावित्री चेरिटेबल ट्रस्ट "
2. पता : कार्यालय-स्कीम नं. 94, हाऊस नम्बर 48-ई. सी. रेडीसन होटल के सामने, क्लासिक पूर्णिमा के पास, इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
3. चल-अचल संपत्ति : न्यास की चल सम्पत्ति में निरंक है तथा अचल सम्पत्ति में ग्राम कलसाडाखुर्द, तहसील धार, जिला धार में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 283/1 रकबा 1.164 है।

आज दिनांक 14 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1398)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक शिव वाहिनी सेवा न्यास, पता-2, इमली बाजार, बी.एम. कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी मनीष पिता श्री दाउलाल बिन्नानी, पता-डी-39, सुदामा नगर, इन्दौर द्वारा "शिव वाहिनी सेवा न्यास" इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : "शिव वाहिनी सेवा न्यास"
2. पता : कार्यालय-2, इमली बाजार, बी.एम. कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
3. चल-अचल संपत्ति : न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र) नगद है, जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है तथा अचल संपत्ति निरंक है।

आज दिनांक 12 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1399)

बिहारीसिंह,
पंजीयक.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जिला-नीमच**प्रारूप-चार**

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5, उपधारा-2 और म. प्र. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

चूँकि श्री नाकोड़ा भैरव मित्र मण्डल ट्रस्ट, नीमच द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया गया है।

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 16 अगस्त, 2017 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	“श्री नाकोड़ा भैरव मित्र मण्डल ट्रस्ट” निवासी-मण्डी प्रांगण, नीमच.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

दिनांक 17 जुलाई, 2017.

आदित्य शर्मा,
पंजीयक.

(1400)

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर, जिला मंदसौर

प्र. क्र. 04/बी-113(1)/2014-15.

नियम-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) देखिये]

पंजीयक लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

चूँकि शिवना एरिया वाटर पार्टनरशिप ट्रस्ट, मंदसौर, द्वारा अध्यक्ष, नरेन्द्र सिंह पिता मोहनलाल सिपानी, नई आबादी मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः मैं, श्री एन. एस. राजावत, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ। अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें

और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

लोक न्यास का नाम : शिवना एरिया वाटर पार्टनरशिप ट्रस्ट, मंदसौर

सम्पत्ति का विवरण:-

(अ) अचल सम्पत्ति : निरंक

(ब) चल सम्पत्ति : निरंक

(1401)

एन. एस. राजावत,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

प्र. क्र. 04/बी-113/16-17.

विदिशा, दिनांक 25 जुलाई, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

आवेदक अध्यक्ष श्री हरिसिंह पुत्र गनपतसिंह राजपूत, निवासी संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने, सागर रोड, विदिशा द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से एक आवेदन-पत्र पेश किया गया है कि विदिशा नगर के वार्ड नं. 32 सागर रोड, विदिशा पर सागर पुलिया के पास मंदिर श्री हनुमान जी संकट मोचन के नाम से स्थित है. मंदिर शासकीय भूमि खसरा नंबर 6/1 रकबा 0.074 हे. तमोरिया में प्राचीन काल का मंदिर है, उसका मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25 अगस्त, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं आर. पी. अहिरवार, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 25 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : मंदिर श्री हनुमान जी संकट मोचन, सागर पुलिया के पास, विदिशा
2. चल सम्पत्ति : मंदिर की चल संपत्ति सूची पृथक से संलग्न है
3. अचल सम्पत्ति : भूमि 0.074 हे. जिसमें 50 बाय 100 पर मंदिर निर्माणधीन है. लागत एक करोड़ रुपये एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा विदिशा के खाता क्रमांक 364702010013912 में राशि रुपये 1,99,925/- रुपये.

मंदिर समिति की चल एवं अचल संपत्ति का विवरण

क्र.	सम्पत्ति का विवरण	मूल्य
01	अचल सम्पत्ति:- 1 भूमि क्षेत्रफल 0.074 हेक्टर जिस पर 50 x 100 वर्गफिट में निर्माणाधीन मंदिर लेंटर हाईट.	1,00,00,000.00 (अंकन एक करोड़ रुपया)

चल सम्पत्ति का विवरण:-	रुपया/पैसे
02 1- आहूजा कंपनी की मायक मशीन 1 नग कीमती 8000/-	8000.00
03 2- 4 माईक (चुंगा)4 नग कीमती 4000/- रुपया	4000.00
04 3- 2 माईक बोलने वाले कीमती 1000/- रुपया	1000.00
05 4- 2 तखत साईज 4 बाई 6 के कीमती 3000/- रुपया	3000.00
06 5- 2 फर्श बिछाने वाले कीमती 1500/- रुपया	1500.00
07 6- 1 समशीयल मोटर कीमती 8000/- रुपया	8000.00
08 7- 5 नग, पीतल के घन्टेरुपया	3000.00
09 8- श्री हनुमान जी के 1, चांदी का मुकुट	4000.00
10 2- कड़े करीब 500 ग्राम कीमती 10000/- रुपया	10000.00
11 9- 2 छोटी चौकी बैठने वाली लकड़ी की	1000.00
12 10- पूजन सामग्री थाली, लोटा, पंचपात्री, आरती, गगरा आदि	1500.00
13 11- तुलसीकृत रामचरित्रमानस रामायण 4 नग	4000.00
14 लोहे का एक गेट	3000.00
योग	52000.00

नोट:- एक करोड़ की अचल सम्पत्ति और बावन हजार की चल सम्पत्ति होगी.

(1402)

आर. पी. अहिरवार,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल

प्र.क्र.05/बी-113/2016-17.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम, 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

जैसाकि (दिव्य ज्योति सीयरो मालाबार ट्रस्ट) 98, सेक्टर-1, शक्तिनगर हबीबगंज भोपाल ट्रस्टी श्री थॉमस जॉन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक अगस्त, 2017 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : दिव्य ज्योति सायरो मालाबार ट्रस्ट.
2. अचल सम्पत्ति : निल.
3. चल सम्पत्ति : 10,000/-

आज दिनांक 27 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(1403)

अतुल सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, बड़वानी

समस्त पशु-स्वामियों एवं पशु चरवाहों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के नियम-4 के अन्तर्गत आने वाले निम्नांकित आरक्षित वन क्षेत्रों में आने वाले वृक्षारोपण क्षेत्र दिनांक 1 जुलाई, 2017 से आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की चराई के लिये प्रतिबंधित घोषित किये जाते हैं जो पशु-स्वामी, चरवाहे वन क्षेत्रों में पशु/मवेशी चराते हुए पाये जावेंगे, उनके विरुद्ध वन नियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:—

अ. क्र.	परिक्षेत्र	चराई से प्रतिबंधित स्थल	कक्ष क्रमांक	वर्ष	हेक्टर में
1	2	3	4	5	6
1.	पाटी	आर. डी. एफ., बिलवारा	177/3	2011-12	60.43
2.	-,,-	आर. डी. एफ., मान्या खेत	156/2	-,,-	56.57
3.	-,,-	आर. डी. एफ., मेढकीमाल	167/2	-,,-	57.57
4.	-,,-	आर. डी. एफ., सागबारा	162/2	-,,-	51.34
5.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,,-	46.91
6.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कुली	131	-,,-	60.70
7.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	108	-,,-	56.05
8.	-,,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,,-	58.84
9.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,,-	45.47
10.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,,-	45.02
11.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,,-	41.56
12.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	144	-,,-	60.65
13.	-,,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,,-	67.66
14.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, मान्याखेत	1151	-,,-	50.00
15.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सागबारा	1158	-,,-	50.00
16.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	-,,-	10.00
17.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, कुली/घोंघसा	127	-,,-	20.00
18.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	10.00
19.	बोकराटा	आर. डी. एफ., बन	219/2	-,,-	42.50
20.	-,,-	आर. डी. एफ., हाटबावडी	266/2	-,,-	55.02
21.	-,,-	आर. डी. एफ., झरार	234/2	-,,-	37.90
22.	-,,-	आर. डी. एफ., देवगढ	245/2	-,,-	50.33
23.	-,,-	चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	39.81
24.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ	216	-,,-	32.68
25.	-,,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,,-	50.93
26.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, हरला	103	-,,-	10.00
27.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीबाडी	259	-,,-	10.00

1	2	3	4	5	6
28.	बोकराटा	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पोखल्या	279	2011-12	10.00
29.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पूर्व	211	-,,-	10.00
30.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पीपरकुंड	231	-,,-	10.00
31.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पश्चिम	226	-,,-	10.00
32.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	183	-,,-	36.49
33.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	192	-,,-	46.92
34.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	219	-,,-	57.60
35.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	234	-,,-	64.75
36.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुंड	231	-,,-	55.66
37.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	245	-,,-	43.77
38.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	-,,-	23.73
39.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ	264	-,,-	58.23
40.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	266	-,,-	55.00
41.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	183	-,,-	50.31
42.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	220	-,,-	28.99
43.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	219	-,,-	66.72
44.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	234	-,,-	49.81
45.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुण्ड	231	-,,-	74.89
46.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	245	-,,-	43.73
47.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	-,,-	57.22
48.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ	264	-,,-	41.28
49.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	266	-,,-	54.92
50.	-,,-	चारागाह विकास, जाई	206	-,,-	72.74
51.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ पूर्व	216	-,,-	45.75
52.	-,,-	चारागाह विकास, रोषमाल	270	-,,-	67.82
53.	बड़वानी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	10.00
54.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,,-	10.00
55.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,,-	72.17
56.	-,,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,,-	37.71
57.	-,,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,,-	63.22
58.	-,,-	चारागाह विकास, गोठानिया	41	-,,-	84.41
59.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	62.11
60.	-,,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,,-	41.12
61.	-,,-	चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,,-	102.57

1	2	3	4	5	6
62.	बड़वानी	चारागाह विकास, अंबापानी	60	2011-12	50.82
63.	-,,-	चारागाह विकास, अतरसंभा	67	-,,-	65.84
64.	-,,-	चारागाह विकास, केली	285	-,,-	59.43
65.	-,,-	चारागाह विकास, मरदई	296	-,,-	63.17
66.	-,,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,,-	51.03
67.	-,,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,,-	49.47
68.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ	216	-,,-	29.65
69.	-,,-	चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	65.81
70.	-,,-	चारागाह विकास, नागलवाड़ी	36	-,,-	83.61
71.	-,,-	चारागाह विकास, खडक्यामऊ	31	-,,-	48.12
72.	-,,-	चारागाह विकास, मण्डवाडा	15	-,,-	55.39
73.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,,-	50.79
74.	-,,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,,-	40.01
75.	-,,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,,-	53.30
76.	-,,-	चारागाह विकास, केली	285	-,,-	32.70
			292		28.03
77.	-,,-	चारागाह विकास, मरदई	296	-,,-	18.96
			297		34.14
78.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावड़ी	42	-,,-	44.54
79.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावड़ी	45	-,,-	61.82
80.	-,,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,,-	56.62
81.	-,,-	चारागाह विकास, बावनगजा	73	-,,-	76.56
82.	-,,-	चारागाह विकास, अम्बापानी	60	-,,-	64.80
83.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	2012-13	68.34
84.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,,-	44.98
85.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,,-	41.96
86.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	162	-,,-	44.02
87.	-,,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,,-	51.98
88.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	108	-,,-	51.83
89.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,,-	47.75
90.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,,-	50.46
91.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,,-	45.23
92.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,,-	54.26
93.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,,-	55.85
94.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	146	-,,-	46.73

1	2	3	4	5	6
95.	पाटी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	2012-13	10.00
96.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	2013-14	57.66
97.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,,-	40.98
98.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,,-	52.56
99.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	163	-,,-	47.04
100.	-,,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,,-	34.59
101.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	108	-,,-	36.73
102.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	115	-,,-	57.39
103.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,,-	58.79
104.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,,-	50.24
105.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	148	-,,-	58.09
106.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	138	-,,-	49.20
107.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	146	-,,-	41.12
108.	-,,-	चारागाह विकास, अंजराड़ा	74	-,,-	59.21
109.	-,,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,,-	67.40
110.	बड़वानी	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	2014-15	50.29
111.	-,,-	भू-जल संरक्षण, भामटा	92	-,,-	56.86
112.	-,,-	चारागाह विकास, खमसजवानी	42	-,,-	63.89
113.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	64.86
114.	-,,-	चारागाह विकास, चूनाभट्टी	58	-,,-	62.13
115.	-,,-	चारागाह विकास, बावनगजा	73	-,,-	84.54
116.	-,,-	चारागाह विकास, अम्बापानी	60	-,,-	61.91
117.	-,,-	चारागाह विकास, बोरी	286	-,,-	39.06
118.	-,,-	चारागाह विकास, कालीकण्डी	298	-,,-	52.17
119.	राजपुर	चारागाह विकास, मण्डवाडी	14	-,,-	42.48
120.	-,,-	चारागाह विकास, धमोडी	36	-,,-	55.44
121.	-,,-	चारागाह विकास, सगाईमोड़ी	31	-,,-	61.89
122.	-,,-	वृक्षारोपण, दानोद	26	-,,-	50.00
123.	-,,-	वृक्षारोपण, सगाईमोड़ी	31	-,,-	50.00
124.	-,,-	वृक्षारोपण, टाकली	11	-,,-	50.00
125.	-,,-	वृक्षारोपण, टाकली	11	-,,-	12.88
126.	-,,-	वृक्षारोपण, रोझानी	21	-,,-	40.00
127.	-,,-	वृक्षारोपण, सामरतलाई	2	-,,-	30.00
128.	पाटी	चारागाह विकास, लाईझापी	120	-,,-	47.77

1	2	3	4	5	6
129.	पाटी	चारागाह विकास, अंजराड़ा	74	2014-15	67.67
130.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बीजासन	95	-,,-	39.81
131.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	105	-,,-	34.07
132.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	114	-,,-	58.27
133.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,,-	49.05
134.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,,-	56.10
135.	-,,-	भू-जल संरक्षण, भादल	146	-,,-	68.08
136.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	148	-,,-	55.91
137.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	136	-,,-	65.31
138.	-,,-	भू-जल संरक्षण, खेरवानी	138	-,,-	37.59
139.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	163	-,,-	88.78
140.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	-,,-	37.04
141.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,,-	45.83
142.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,,-	56.91
143.	बोकराटा	चारागाह विकास, उबादगढ	206	-,,-	57.20
144.	-,,-	चारागाह विकास, पिपरकूण्ड	216	-,,-	89.86
145.	-,,-	चारागाह विकास, गारा	270	-,,-	43.11
146.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	184	-,,-	39.86
147.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	260	-,,-	60.68
148.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	223	-,,-	48.65
149.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	237	-,,-	53.93
150.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुण्ड	231	-,,-	58.65
151.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	245	-,,-	43.44
152.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	-,,-	59.74
153.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ	264	-,,-	40.28
154.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावड़ी	278	-,,-	54.91
155.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, लेखड़ा	169	2015-16	64.67
156.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	163	-,,-	27.08
157.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	156	-,,-	44.31
158.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	177	-,,-	34.65
159.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार	245	-,,-	59.53
160.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	237	-,,-	62.40
161.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	249	-,,-	75.09
162.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	278	-,,-	54.11

1	2	3	4	5	6
163.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार	264	2015-16	67.58
164.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार	184	-,-	48.54
165.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार	220	-,-	53.67
166.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार	223	-,-	74.26
167.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार	231	-,-	46.25
168.	बड़वानी	भू-जल संरक्षण, बोम्या	87	-,-	59.41
169.	पाटी	भू-जल संरक्षण, बीजासन	95	-,-	63.02
170.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	105	-,-	56.34
171.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,-	50.99
172.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	114	-,-	93.86
173.	-,-	भू-जल संरक्षण, खेरवानी	153	-,-	63.95
174.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	148	-,-	55.27
175.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	141	-,-	54.61
176.	-,-	भू-जल संरक्षण, भादल	147	-,-	58.77
177.	-,-	भू-जल संरक्षण, सुस्तीखेड़ा	302	-,-	23.71
178.	बड़वानी	चारागाह विकास, चूनाभट्टी	58	-,-	64.67
179.	-,-	चारागाह विकास, अम्बापानी	61	-,-	48.41
180.	-,-	चारागाह विकास, खमसजवानी	42	-,-	69.90
181.	-,-	चारागाह विकास, रेहगून	49	-,-	67.12
182.	-,-	चारागाह विकास, काजलमाता	300	-,-	38.11
183.	-,-	चारागाह विकास, बोरी	286	-,-	60.25
184.	पाटी	चारागाह विकास, अंजराड़ा	74	-,-	70.19
185.	-,-	चारागाह विकास, लाईझापी	120	-,-	80.05
186.	बोकराटा	चारागाह विकास, भैसारी	271	-,-	74.01
187.	-,-	चारागाह विकास, डाबरी	207	-,-	116.37
188.	-,-	चारागाह विकास, शिवनी	217	-,-	247.67
189.	-,-	चारागाह विकास, शिवनी	226	-,-	354.17
190.	राजपुर	चारागाह विकास, मण्डवाडी	13	-,-	94.36
191.	-,-	चारागाह विकास, धमोड़ी	37	-,-	66.91
192.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, चेरवी	169	2016-17	40.50
193.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रोसर	177	-,-	39.98
194.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	156	-,-	44.52
195.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	163	-,-	52.11
196.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुण्ड	231	-,-	45.05

1	2	3	4	5	6
197.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	237	2016-17	31.26
198.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	278	-,-	66.35
199.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	184	-,-	48.52
200.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	221	-,-	61.24
201.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	250	-,-	63.54
202.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	223	-,-	61.27
203.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ	265	-,-	42.29
204.	पाटी	भू-जल संरक्षण, गाताबारा	114	-,-	54.76
205.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	115	-,-	63.55
206.	-,-	भू-जल संरक्षण, झरकल	147	-,-	48.39
207.	-,-	भू-जल संरक्षण, सेमलेट	141	-,-	42.37
208.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	149	-,-	27.95
209.	-,-	भू-जल संरक्षण, खेरवानी	153	-,-	56.10
210.	-,-	भू-जल संरक्षण, बिजासन	95	-,-	57.08
211.	-,-	भू-जल संरक्षण, नलती	105	-,-	42.14
212.	-,-	भू-जल संरक्षण, घोंघसा	132	-,-	55.33
213.	बड़वानी	भू-जल संरक्षण, गोई नदी	87	-,-	59.38
214.	-,-	भू-जल संरक्षण, घुंघसी	92	-,-	43.12
215.	-,-	चारागाह विकास, जुनाझीरा	42	-,-	67.46
216.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावड़ी	49	-,-	60.76
217.	-,-	चारागाह विकास, कालाखेत	52	-,-	55.85
218.	-,-	चारागाह विकास, अंबापानी	61	-,-	56.66
219.	-,-	चारागाह विकास, केली	286	-,-	54.19
220.	-,-	चारागाह विकास, काजलमाता	302	-,-	87.96
221.	पाटी	चारागाह विकास, हरला	121	-,-	34.70
222.	-,-	चारागाह विकास, औसाड़ा	74	-,-	52.02
223.	-,-	चारागाह विकास, अंजराड़ा	83	-,-	70.63
224.	-,-	चारागाह विकास, हरला	122	-,-	298.08
225.	बोकराटा	चारागाह विकास, पीपरकुण्ड	227	-,-	40.91
226.	-,-	चारागाह विकास, गारा	271	-,-	59.68
227.	-,-	चारागाह विकास, उबादगढ़	207	-,-	53.27
228.	राजपुर	चारागाह विकास, मण्डवाडी	12 & 13	-,-	83.83
229.	-,-	चारागाह विकास, गोठा नियां	37	-,-	60.80

लखनलाल उड़के,
वनमण्डल अधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला सतना

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/1223, सतना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा, SCL व. सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 451, दिनांक 02 मई, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1405)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1244, सतना, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरदाडीह, विकासखण्ड रामपुरबाघेलान, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, CL, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरदाडीह, विकासखण्ड रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 481, दिनांक 23 मार्च, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

नरेश सिन्हा,

उप-पंजीयक.

(1405-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 25 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/983.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/656, धार, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के द्वारा विपणन सहकारी संस्था मर्या., डही, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 978, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत विपणन सहकारी संस्था मर्या., डही, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1406)

धार, दिनांक 25 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/984.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/373, धार, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सराय, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 10 दिसम्बर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सराय, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1406-A)

धार, दिनांक 25 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/985.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/907, धार, दिनांक 23 जून, 2015 के द्वारा माँ दुर्गा आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलरझिरी, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत माँ दुर्गा आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलरझिरी, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1406-B)

धार, दिनांक 25 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/986.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/1018, धार, दिनांक 04 जुलाई, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लीलीखेडी, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 461, दिनांक 19 मार्च, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. व्यास, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री एस. के. व्यास, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना

क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लीलीखेडी, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

अम्बरीष वैद्य,

उप-रजिस्ट्रार,

(1406-C)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 27 जून, 2017

माँ सरस्वती आदिवासी टाटपट्टी बनुकर सहकारी समिति मर्या., भुडकुर पंजीयन क्रमांक/25, दिनांक 23 मई, 2008, विकासखण्ड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./175, दिनांक 15 मार्च, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी/सहकारी निरीक्षक/उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 27 जून, 2017 से स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है।

अतः मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, डिण्डौरी एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की 18(1) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 जून, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1407)

डिण्डौरी, दिनांक 27 जून, 2017

लक्ष्मी दौना-पत्तल संग्रहण निर्माण सहकारी समिति मर्या., दौढ़ पंजीयन क्रमांक/97, दिनांक 21 फरवरी, 1997, विकासखण्ड बजाग, जिला डिण्डौरी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./175, दिनांक 15 मार्च, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी/सहकारी निरीक्षक/उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 27 जून, 2017 से स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है।

अतः मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, डिण्डौरी एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की 18(1) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 जून, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1407-A)

डिण्डौरी, दिनांक 27 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपॉडि/पंजी./2017/299.—कोदों-कुटकी उत्पादन सहकारी समिति मर्या., मुडकी रोड, डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 63, दिनांक 27 मार्च, 2014 विकासखण्ड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./372, दिनांक 27 मार्च, 2014 द्वारा श्री जी. एस. परस्ते, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित प्रतिवेदन निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोदों-कुटकी उत्पादन सहकारी समिति मर्या., मुडकी रोड, डिण्डौरी, विकासखण्ड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 जून, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1408)

डिण्डौरी, दिनांक 27 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सर्पडि/पंजी./2017/300.—रेवांचल सहयोग आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 68, दिनांक 28 मार्च, 2014 विकासखण्ड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./365, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा श्री जी. एस. परस्ते, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्डा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवांचल सहयोग आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, विकासखण्ड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 जून, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1408-A)

डिण्डौरी, दिनांक 27 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सर्पडि/पंजी./2017/301.—अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मेंहदवानी, पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 25 नवम्बर, 1999 विकासखण्ड मेंहदवानी, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./404, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री जी. एस. परस्ते, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्डा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मेंहदवानी, विकासखण्ड मेंहदवानी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 जून, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1408-B)

डिण्डौरी, दिनांक 27 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सर्पडि/पंजी./2017/302.—माँ नर्मदा आदिवासी टाटपट्टी बुनकर सहकारी समिति मर्या., बैगानटोला, पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 23 मई, 2000, विकासखण्ड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./523, दिनांक 23 मई, 2008 द्वारा श्री जी. एस. परस्ते, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित प्रतिवेदन निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्डा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा आदिवासी टाटपट्टी बुनकर सहकारी समिति मर्या., बैगानटोला, विकासखण्ड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 जून, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1408-C)

डिण्डौरी, दिनांक 27 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी./2017/303.—प्राथमिक महिला उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या., शहपुरा, पंजीयन क्रमांक 696, दिनांक 04 जुलाई, 1996, विकासखण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./366, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा श्री जी. एस. परस्ते, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्डा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक महिला उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या., शहपुरा, विकासखण्ड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 जून, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1408-D)

जी. पी. कन्डा,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया

उमरिया, दिनांक 01 जुलाई, 2017

क्र./परि./2017/392.— कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2005/304, उमरिया दिनांक 12 जुलाई, 2005 के द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. अमिलिहा, ब्लाक पाली, जिला उमरिया पंजीयन क्रमांक-518, दिनांक 24 मार्च, 1965 को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. पाली को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत म. प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. अमिलिहा, ब्लाक पाली, जिला उमरिया का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बॉडी समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1409)

एम. एल. प्रजापति,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 27 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/583/परि./2017.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष द्वारा हस्त लिखित पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें लेख किया गया है कि संस्था द्वारा वर्तमान में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था के सदस्य भविष्य में संस्था में कार्य नहीं करना चाहते हैं संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संस्था अध्यक्षों द्वारा संस्थाओं को अकार्यशील बताये जाने के कारण संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने हेतु उनका स्वलिखित पत्र स्वीकार कर लिया गया है.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और सोसायटीयों के आस्तियों एवं दायित्वों

का विधिवत निपटारा कर कामकाज समेटन के लिए समितियों के समक्ष दर्शाये अनुसार अधिनियम की धारा-70 (1) के अधिन निम्नलिखित परिसमापकों को नियुक्त करता हूँ:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	राज बीज उत्पादन एवं कृषि आदान सहकारी समिति मर्या., मन्दसौर.	UJN/28/दि. 18-11-16	सुश्री विपिन बडगोती, सहकारी निरीक्षक.
2.	भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर.	340/दि. 06-07-82	श्री आर. के. जैन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
3.	कुबेर साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर.	1368/दि. 30-06-15	श्री वी. के. खेरिया, सहकारी निरीक्षक.
4.	साई नाथ साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर.	UJN/18/दि. 28-01-15	श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्री शिवनारायण पिता छगनलाल,

यशोधर्मन साख सहकारी संस्था मर्या., जनता कॉलोनी, मन्दसौर, तहसील मन्दसौर.

क्रमांक/624/परि./2017.—यशोधर्मन साख सहकारी संस्था मर्या., जनता कॉलोनी, मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-429, मन्दसौर, दिनांक 16 जुलाई, 1987 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-A)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कचनारा फलेग, तहसील मन्दसौर.

क्रमांक/625/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कचनारा फलेग, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-936, मन्दसौर, दिनांक

31 दिसम्बर, 2010 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-B)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अंत्रालिया, तहसील भानपुरा.

क्रमांक/626/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अंत्रालिया, मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-938, मन्दसौर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-C)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बंजारी, तहसील शामगढ़.

क्रमांक/628/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बंजारी, तहसील शामगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-953, मन्दसौर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-D)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्री श्यामसिंह पिता शिवसिंह,

सचिव, मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सपानिया, तहसील गरोट.

क्रमांक/629/परि./2017.—मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सपानिया, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-985, मन्दसौर, दिनांक 23 जनवरी, 2013 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-E)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्रीमति कृष्णा बाई पति घिसालाल,

नवदुर्गा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., रलायता खेडा, तहसील भानपुरा.

क्रमांक/630/परि./2017.—नवदुर्गा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., रलायता खेडा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-975, मन्दसौर, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-F)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्री मुकेश पिता केशरीमल,

पशुपति नाथ सहकारी भण्डार मर्या., खानपुरा मन्दसौर, जिला मन्दसौर.

क्रमांक/631/परि./2017.—पशुपति नाथ सहकारी भण्डार मर्या., खानपुरा मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-779, मन्दसौर, दिनांक 13 अक्टूबर, 1995 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.

2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-G)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्री गोपाल पिता जयसिंह दायमा,
जय जोगणिया मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., असावती, तहसील शामगढ़.

क्रमांक/632/परि./2017.—जय जोगणिया मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., असावती, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-1029, मन्दसौर, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-H)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्री दिपक पिता महावीर जैन,
महाकाल प्राथमिक सहकारी भण्डार मर्या., भानपुरा, जिला मन्दसौर.

क्रमांक/633/परि./2017.—महाकाल प्राथमिक सहकारी भण्डार मर्या., भानपुरा, मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-1026,

मन्दसौर, दिनांक 14 अगस्त, 2013 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-I)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दशपुर श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील मन्दसौर.

क्रमांक/634/परि./2017.—दशपुर श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-768, मन्दसौर, दिनांक 11 सितम्बर, 1995 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-J)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्रीमति भारती पति राहुल तिवारी,
इन्दिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., हाकीमी पेलेस, गीता भवन रोड मन्दसौर, तहसील मन्दसौर.

क्रमांक/635/परि./2017.—इन्दिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., हाकीमी पेलेस, गीता भवन रोड मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-818, मन्दसौर, दिनांक 21 अगस्त, 1997 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-K)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्री कारूलाल पिता गेन्दमल,
रेतम बेराज मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., हरमाला, तहसील मल्हारगढ़.

क्रमांक/636/परि./2017.—रेतम बेराज मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., हरमाला, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-906, मन्दसौर, दिनांक 06 मार्च, 2009 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-L)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रणायरा, तहसील सीतामऊ.

क्रमांक/637/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रणायरा, मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-636, मन्दसौर, दिनांक 28 मार्च, 1992 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-M)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्री सुमित पिता रमेशचन्द्र, संजीत रोड, मन्दसौर,

तिरूपति साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील मन्दसौर.

क्रमांक/638/परि./2017.—तिरूपति साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-1032, मन्दसौर, दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.

2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है।
3. संस्था अकार्यशील है। संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है। इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है।
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(1410-N)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लोध, तहसील मन्दसौर।

क्रमांक/639/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लोध, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-964, मन्दसौर, दिनांक 24 अगस्त, 2012 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है।
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है।
3. संस्था अकार्यशील है। संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है। इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है।
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(1410-O)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष, श्री रवि कुमार पिता कालुराम,

माँ चामुण्डा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., जूनापानी घोरनीया, तहसील गरोठ।

क्रमांक/640/परि./2017.—माँ चामुण्डा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., जूनापानी घोरनीया, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-993,

मन्दसौर, दिनांक 16 जुलाई, 2013 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-P)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., तितरोद, तहसील सीतामऊ.

क्रमांक/641/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., तितरोद, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-620, मन्दसौर, दिनांक 20 जनवरी, 1992 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-Q)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गुडभेली, तहसील मल्हारगढ़,

क्रमांक/642/परि./2017.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गुडभेली, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-654, मन्दसौर, दिनांक 13 अक्टूबर, 1992 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-R)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्रीमति अंगुरबाला पति राजेन्द्र,

जन-जाग्रती साख सहकारी संस्था मर्या., नाहर सय्यद रोड़ मन्दसौर, तहसील मन्दसौर.

क्रमांक/643/परि./2017.—जन-जाग्रती साख सहकारी संस्था मर्या., नाहर सय्यद रोड़ मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-812, मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 1987 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1410-S)

मन्दसौर, दिनांक 03 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष सुश्री पुनम पिता किशनलाल जागड़े,

अम्बेडकर महिला साख सहकारी संस्था मर्या., जनता कॉलोनी, तहसील मन्दसौर.

क्रमांक/644/परि./2017.—अम्बेडकर महिला साख सहकारी संस्था मर्या., जनता कॉलोनी, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-1030, मन्दसौर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 24 जुलाई, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भारतसिंह चौहान,

उप-पंजीयक.

(1410-T)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 04 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1102.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/183, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के द्वारा वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीखेडा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 698, दिनांक 28 दिसम्बर, 1998) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 30 मई, 2017 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने के संकल्प पारित किया गया है. प्रतिवेदन के साथ संस्था की आगामी 03 वर्ष की कार्ययोजना संलग्न की गयी है जिसमें संस्था में सदस्यता वृद्धि के साथ संस्था के लाभ में संचालन को दर्शाया गया है. संस्था के सुचारु कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है.

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी सस्थाएँ, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीखेडा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 698, दिनांक 28 दिसम्बर, 1998) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंध-कारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
1	2	3
1.	श्री भेरूसिंह/देवीसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री रामचन्द्र/राजाराम	उपाध्यक्ष
3.	श्री उमेश/रूगनाथसिंह	संचालक
4.	श्री निर्भयसिंह/अमरसिंह	संचालक
5.	श्री धर्मराज/नारायणसिंह	संचालक
6.	श्री मानसिंह/पूराजी	संचालक
7.	श्री बालूसिंह/गोकुलसिंह	संचालक
8.	श्री रामकिशन/नाथूलाल	संचालक
9.	श्रीमति रतनबाई/भेरूसिंह	संचालक
10.	श्रीमति केलाशबाई/भेरूसिंह	संचालक
11.	श्री बगदुराम/रामाजी	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1411)

आगर-मालवा, दिनांक 06 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1133.—श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गुराडिया पीर, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा, (पंजीयन क्रमांक 60, दिनांक 09 अप्रैल, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49-7 (ख) के अंतर्गत संस्था द्वारा समयवधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के फलस्वरूप संचालक मण्डल का पद स्वतः रिक्त माने जाकर श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा संस्था के नवीन निर्वाचन कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल को निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था. जिसके आधार पर आदेश क्रमांक/सह नि प्रा/2017/2/4388, दिनांक 14 अप्रैल, 2017 द्वारा श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था.

रिटर्निंग अधिकारी एवं प्रशासक द्वारा अपने पत्र दिनांक 13 जून, 2017 एवं 27 जून, 2017 से अवगत कराया गया है कि संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रूचि नहीं ली जा रही है तथा संस्था की ओर से निर्धारित प्रक्रिया शुल्क की राशि जमा नहीं की जा रही है तथा धनराशि के अभाव में संस्था सदस्यों द्वारा संस्था को बंद किये जाने का उल्लेख किया गया है. उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि संस्था लगातार निष्क्रिय होकर अधिनियम एवं उपविधि का उल्लंघन कर रही है जिसकी वजह से उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाती हूँ.

अतः मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी सस्थाएँ, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गुराडिया पीर, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 60, दिनांक 09 अप्रैल, 2015) को आज दिनांक 06 जुलाई, 2017 से परिसमापन में लाती हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बडौद, जिला आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

श्वेता रावत,
प्र. उप-पंजीयक.

(1411-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किलोली बड़नगर, पंजीयन क्रमांक 2144, दिनांक 18 अगस्त, 2015 आदेश क्रमांक/परि./3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुये सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं संचालकों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., किलोली बड़नगर, पंजीयन क्रमांक 2144, दिनांक 18 अगस्त, 2015 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1412)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1629.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	महिदपुर साख सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	121/14-05-10

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 05 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4
1.	महिदपुर साख सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	121/14-05-10	श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. वि. अधिकारी, महिदपुर.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(1380-N)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 31 मई, 2017

क्र./परि./2017/414.-दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, करडावद, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक/1031, दिनांक 18 नवम्बर, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./258, दिनांक 27 मार्च, 2012 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मई, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी. एल. बडोलें,

उप-पंजीयक.

(1413)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 07 जुलाई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/813.—प्रबंध संचालक, कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/आ.संघ/विधि/2017/1073, दिनांक 17 फरवरी, 2017 के द्वारा लेख किया गया है कि श्री प्रदीप सिन्डे, पर्यवेक्षक म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल के अस्वस्थ होने के कारण परिसमापक का कार्य करने में असमर्थ हैं।

एकता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., हरदा, पंजीयन क्रमांक/2305, दिनांक 05 जनवरी, 1988 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/2431, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 से परिसमापन में लाया जाकर, श्री प्रदीप सिन्डे, पर्यवेक्षक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल, कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/812, दिनांक 12 मई, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया है, मैं आंशिक संशोधन किया जाकर क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा, श्री बी. के. तिवारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड हरदा को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 के तहत उक्त अधिनियम की धारा-71 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह भी आदेशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1414)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/814.—प्रबंध संचालक, कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/आ.संघ/विधि/2017/1074, दिनांक 17 फरवरी, 2017 के द्वारा लेख किया गया है कि श्री प्रदीप सिन्डे, पर्यवेक्षक म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल के अस्वस्थ होने के कारण परिसमापक का कार्य करने में असमर्थ हैं।

जनता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., हरदा, पंजीयन क्रमांक/2133, दिनांक 16 जनवरी, 1978 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/2432, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 से परिसमापन में लाया जाकर, श्री प्रदीप सिन्डे, पर्यवेक्षक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल, कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/811, दिनांक 12 मई, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया है, मैं आंशिक संशोधन किया जाकर क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा, श्री बी. के. तिवारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड हरदा को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 के तहत उक्त अधिनियम की धारा-71 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह भी आदेशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1414-A)

हरदा, दिनांक 07 जुलाई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/815.—प्रबंध संचालक, कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/आ.संघ/विधि/2017/1072, दिनांक 17 फरवरी, 2017 के द्वारा लेख किया गया है कि श्री प्रदीप सिन्दे, पर्यवेक्षक म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल के अस्वस्थ होने के कारण परिसमापक का कार्य करने में असमर्थ हैं।

आभास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., हरदा, पंजीयन क्रमांक/2641, दिनांक 02 अगस्त, 1997 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/2430, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 से परिसमापन में लाया जाकर, श्री प्रदीप सिन्दे, पर्यवेक्षक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल, कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/814, दिनांक 12 मई, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया है, में आंशिक संशोधन किया जाकर क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा, श्री बी. के. तिवारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड हरदा को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 के तहत उक्त अधिनियम की धारा-71 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह भी आदेशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1414-B)

हरदा, दिनांक 07 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/816.—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा आदर्श उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा पंजीयन क्रमांक/ARH/51, दिनांक 09 फरवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा-70 के अन्तर्गत श्री यू. एस. राठौर, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशांसा की गई है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99, पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये आदर्श उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा पंजीयन क्रमांक/ARH/51, दिनांक 09 फरवरी, 2004 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक/265, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1414-C)

हरदा, दिनांक 07 जुलाई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/817.—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा आदर्श उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा पंजीयन क्रमांक/ARH/52, दिनांक 10 फरवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा-70 के अन्तर्गत श्री यू. एस. राठौर, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99, पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये आदर्श उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा पंजीयन क्रमांक/ARH/52, दिनांक 10 फरवरी, 2004 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक/269, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1414-D)

हरदा, दिनांक 07 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/818.—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा माँ रेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अबगाँवकंला, तहसील हरदा, जिला हरदा पंजीयन क्रमांक/ARH/49, दिनांक 19 जनवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा-70 के अन्तर्गत श्री यू. एस. राठौर, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99, पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये माँ रेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अबगाँवकंला, तहसील हरदा, जिला हरदा पंजीयन क्रमांक/ARH/49, दिनांक 19 जनवरी, 2004 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक/293, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1414-E)

घनश्याम डेहरिया

उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त, 2017-श्रावण 27, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के सागर को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील बीना, खुरई, बंडा, सागर, रेहली, गढ़ाकोटा, केसली, मालथोन, शाहगढ़ (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील देवरी, राहतगढ़ (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला पन्ना, सागर, दमोह, रीवा में जुताई एवं बालाघाट में धान की रोपाई व जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला सागर, दमोह व रीवा में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला होशंगाबाद में फसल, चना, गुना में सरसों, चना, सागर में मसूर, चना, बैतूल में गेहूँ, चना, मटर, मसूर व दमोह, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, इन्दौर, खरगौन, भोपाल, सीहोर व डिण्डोरी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला सागर, शहडोल व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मसूर. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
4. *जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उडुद, मक्का, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. फसल सरसों चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव कुश नगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व मसूर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	4.2		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	1.2		(2) उपरोक्त फसलें अधिक.		
3. बण्डा	10.1				
4. सागर	12.2				
5. रेहली	17.4				
6. देवरी	18.0				
7. गढ़ाकोटा	9.4				
8. राहतगढ़	19.3				
9. केसली	15.0				
10. मालथोन	6.0				
11. शाहगढ़	7.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा जौ सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर, अधिक. मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, चना, मसूर, अलसी, राई, गेहूँ जौ अधिक. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, तुअर, चना, अलसी, राई समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. राहर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई, सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .				
2. टोंकखुर्द	. .				
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, तुअर कपास अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. थांदला	. .				
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. जोवट	. .				
2. अलीराजपुर	. .				
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. च. शेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ अधिक. (2) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .				
2. सरदारपुर	. .				
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .				
2. सांवेर	. .				
3. इन्दौर	. .				
4. महू	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का, तुअर, चना अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, गेहूँ, अलसी, राई- सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .				
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		ज्वार कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें.		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	. .				
4. इच्छावर	. .				
5. नसरुल्लागंज	. .				
6. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) चना, तिवड़ा, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों, मूँग अधिक. गेहूँ, धनिया कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ चना, मटर, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .				
2. घोड़ाडोंगरी	. .				
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल, चना की कटाई का कार्य चालू हैं.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मटर, मसूर, तुअर अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .				
2. होशंगाबाद	. .				
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .				
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .				
3. जबलपुर	. .				
4. मझोली	. .				
5. कुण्डम	. .				
45. *जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. कटनी	. .		4. (1) . . (2) . .	6. . .	8. . .
2. रीठी	. .				
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मसूर,चना, मटर, अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम है.	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांडुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हरई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसल धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. पारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला ग्वालियर, नीमच, रतलाम, कटनी व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1415)